राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

दिनांक : 13-07-2001

राअशिप/उक्षेस/फ-3/एचआर-69/ओटी(सं.)/2001/ 1603

<u>भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ</u>

आदेश

श्री विद्याधर्म प्रचारक संस्कृत हिन्दी महाविद्यालय, जुलाना-126101, जिला- जिन्द, हरियाणा के द्वारा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली में दायर याचिका पर परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश क्रमांक 42-120/2000अपील/8457 दिनांक 22.2.2001 के संदर्भ में निरीक्षण किया गया तथा संस्था का समिति कार्यालय द्वारा दिनांक 21-25 अप्रैल, 2001 को मूल्यांकन कराया गया । संस्था की मूल नस्तावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे । उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा ओटी (संस्कृत) पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ हैं तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14(3)(बी) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए ।

1. परिषद् मानदंडानुसार व्याख्याताओं की कमी है ।
2. परिषद् मानदंडानुसार प्राचार्य की कमी है ।
3. शारीरिक शिक्षा व्यायामशाला की कमी है ।
4. कला संगीत अनुदेशक एवं कार्यानुभव अनुदेशक की कमी है ।
5. हॉस्टल व्यवस्था की कमी है ।
6. पाठ्यक्रम के लिए स्वतंत्र भवन की कमी है ।
7. 5 शैक्षिक जर्नलों की कमी है ।
8. शैक्षिक तकनीकी प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला नहीं है तथा इनके लिए परिषद् मानदंडानुसार उपकरणों की कमी है ।
9. आरक्षित निधि में 5.00 लाख रुपये की कमी है ।
10. परिषद् मानदंडानुसार वेतनमान देने की कमी है ।
11. पाठ्यक्रम हेतु फीस का निर्धारण करने की कमी है ।
12. परिषद् मानदंडानुसार फर्नीचर की कमी है ।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/एचआर-69/2001/931 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 04.6.2001 के द्वारा दिया गया था । संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए । समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **श्री विद्याधर्म प्रचारक संस्कृत हिन्दी महाविद्यालय, जुलाना-126101, जिला-जिन्द, हरियाणा** के **ओटी (संस्कृत)** पाठ्यक्रम की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार कर दिया जाए ।

1. परिषद् मानदंडानुसार व्याख्याताओं की कमी है ।
2. परिषद् मानदंडानुसार प्राचार्य की कमी है ।
3. शारीरिक शिक्षा व्यायामशाला की कमी है ।
4. कला संगीत अनुदेशक एवं कार्यानुभव अनुदेशक की कमी है ।
5. हॉस्टल व्यवस्था की कमी है ।
6. पाठ्यक्रम के लिए स्वतंत्र भवन की कमी है ।

C:\My Documents\Bansal.doc\C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org